



भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (मानद् विश्वविद्यालय)  
ICAR-National Dairy Research Institute (Deemed University)  
करनाल, हरियाणा Karnal, Haryana-132001



( राजभाषा एकक / Official Language Unit )

ईमेल hindicell.ndri@icar.gov.in

फा.सं. ई.82605/तिमाही बैठक/राजभाषा एकक/2023-24

दिनांक : 28.12.2023.

### कार्यवृत्त (Minutes)

**विषय :** संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 14.12.2023 को आयोजित की गई तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के निदेशक के कार्यालयीन कार्यों में व्यस्त/शहर से बाहर होने के कारण संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) एवं डीन, डा. ए.के.सिंह की अध्यक्षता में संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 101वीं तिमाही समीक्षा बैठक दिनांक 14.12.2023 को अपराह्न 03.30 बजे से संस्थान के डा. एन.एन.दस्तूर सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में परिशिष्ट 'क' में उल्लिखित संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्यगण शामिल हुए। बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है ताकि सभी प्रभागाध्यक्ष एवं अनुभागाध्यक्ष अपने-अपने प्रभाग/अनुभाग से संबंधित बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित कर उन्हें लिखित रूप में अगली बैठक से 05 दिन पूर्व निदेशक को सूचित कराने हेतु राजभाषा एकक को उपलब्ध कराएं।

इसे कार्यवृत्त को अध्यक्ष, संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

संलग्न : उपर्युक्त वर्णित।

*दीर्गज शर्मा*

सदस्य-सचिव, सं.रा.का.स

### वितरण (सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ईमेल के द्वारा) :

1. निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल को उनके प्रधान निजी सचिव के माध्यम से सूचनार्थ।
2. संयुक्त निदेशक(अनुसंधान), संयुक्त निदेशक(शैक्षणिक), संयुक्त निदेशक(प्रशा.) एवं कुलसचिव, वित्त नियंत्रक, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(वरिष्ठ ग्रेड), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राडेअनुसं, करनाल।
3. सभी प्रभाग एवं अनुभाग के अध्यक्ष तथा प्रभारी, राडेअनुसं, करनाल।
4. अध्यक्ष, दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र(राडेअनुसं), बेंगलूरु/पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र(राडेअनुसं), कल्याणी, नादिया।
5. निदेशक(राजभाषा), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
6. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
7. संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ।
8. प्रभारी कंप्यूटर केन्द्र, राडेअनुसं को संस्थान की वेबसाइट/ईऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोडिंग हेतु।

भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 14.12.2023 को आयोजित की गई 101वीं तिमाही समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के निदेशक के कार्यालयीन कार्यों में व्यस्त/शहर से बाहर होने के कारण संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) एवं अधिष्ठाता, डा. ए.के.सिंह की अध्यक्षता में संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 101वीं तिमाही समीक्षा बैठक दिनांक 14.12.2023 को अपराह्न 03.30 बजे से संस्थान के डा. एन.एन.दस्तूर सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में परिशिष्ट 'क' में दर्शाए गए संस्थान के 32 पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक के आरंभ में सदस्य-सचिव, श्री धीरज शर्मा ने सभागार में उपस्थिति समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का स्वागत किया तथा सभा को अवगत कराया कि समिति की पिछली बैठक दिनांक 04.09.2023 को आयोजित की गई थी जिसकी कार्यवृत्त के अनुसार कार्रवाई रिपोर्ट पर चर्चा कर पुष्टि की गई। साथ ही बैठक की कार्यसूची पर भी विस्तार से चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

| क्र.सं. | अगले तीन महीने में किए जाने वाले कार्यों/लक्ष्य जिन पर चर्चा की गई उनका विवरण                                                                                                                                            | कार्रवाई करने वाले प्रभाग/अनुभाग/पदाधिकारी के नाम |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | ई-ऑफिस ग्रीनशीट पर हिंदी में की जाने वाली टिप्पणियों का प्रतिशत लक्ष्य 75 है।                                                                                                                                            | कार्रवाई : सभी वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी।   |
| 2       | राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुपालन में हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए जाएं।                                                                                                                   | कार्रवाई : सभी अधिकारी एवं कर्मचारी।              |
| 3       | राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी किया जाना है। इन दस्तावेजों में मुख्य रूप से परिपत्र, आदेश, कार्यालय आदेश, पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति, रिपोर्ट आदि आते हैं। | कार्रवाई : सभी हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी।            |
| 4       | संस्थान के सभी प्रभाग एवं अनुभाग के रजिस्ट्रों में मूल रूप से प्रविष्टियां हिन्दी में की जानी हैं। किन्तु रजिस्ट्रों का आवरण पृष्ठ द्विभाषी में होगा।                                                                    | कार्रवाई : सभी वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी।   |
| 5       | संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं में अनिवार्य रूप से प्रविष्टियां हिन्दी में की जानी है।                                                                                                         | कार्रवाई : स्थापना-1,2,3 एवं 4 अनुभाग।            |
| 6       | संस्थान के सभी वैज्ञानिक, अधिकारी एवं कर्मचारी को वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से हिन्दी कार्यशाला में सम्मिलित होना ही है।                                                                                              | कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष एवं अनुभागाध्यक्ष।   |
| 7       | संस्थान द्वारा किसानों को प्रदत्त सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को द्विभाषी में दिया जाना है।                                                                                                                                  | कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष एवं अनुभागाध्यक्ष।   |
| 8       | लिफाफों के पते हिन्दी में लिखना- क एवं ख क्षेत्र के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते देवनागरी लिपि में ही लिखें जाएं तथा ग क्षेत्र को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पता द्विभाषी में ही लिखें।          | कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष एवं अनुभागाध्यक्ष।   |
| 9       | पत्रशीर्ष, रबर की मुहरें, नामपट्ट, साइन बोर्ड, सूचना पट्ट आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही तैयार करें।                                                                                                                | कार्रवाई : सभी प्रभागाध्यक्ष एवं अनुभागाध्यक्ष।   |
| 10      | प्रमुख जाँच बिन्दु के रूप डाक डायरी/डिस्पैच के संबंधित प्रभारी द्वारा डाक प्रेषण में हिन्दी नियमों का अनुपालन।                                                                                                           | कार्रवाई : प्रभारी, राजभाषा एकक।                  |
| 11      | सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम से व्यक्तिशः आदेश वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। इस क्रम में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम व्यक्तिशः आदेश 2024 में जारी किए जाएंगे।                                    | कार्रवाई : राजभाषा एकक                            |

*—दी—*

|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 12 | 01 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान एक हिन्दी कार्यशाला और हिन्दी की एक तिमाही बैठक का भी आयोजन करना।                                                                           | कार्रवाई : राजभाषा एकक                                        |
| 13 | राजभाषा गृह पत्रिका दुग्ध गंगा के अंक 01 एवं 02 का प्रकाशन तथा कर्णोदय पत्रिका के वर्ष 2023 का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।<br>डेरी स्मारिका 2024 एवं डेरी समाचार में राजभाषा एकक की भूमिका होगी। | कार्रवाई : प्रभारी, राजभाषा एकक एवं सदस्य सचिव नराकास, करनाल। |
| 14 | 01 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2023 तक की राजभाषा हिन्दी से संबंधित सामग्री संस्थान के न्यूज लेटर के लिए पीएमई सेल को उपलब्ध करवाना।                                                                   | कार्रवाई : राजभाषा एकक                                        |
| 15 | राजभाषा विभाग एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिन्दी अनुभाग को तिमाही रिपोर्ट प्रेषित/अपलोड करना।                                                                                              | कार्रवाई : राजभाषा एकक                                        |
| 16 | एनडीआरआई के नॉन क्रेडिट कोर्स(हिंदी) संबंधी शिक्षा सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं शनिवार को प्रातः 08.20 बजे से 9.10 बजे तक प्रदान की जाएगी।                                                        | कार्रवाई : राजभाषा एकक                                        |
| 17 | संस्थान के शोधार्थियों के ऐब्स्ट्रैक्ट का हिंदी रूपांतरण करना।                                                                                                                                   | कार्रवाई : राजभाषा एकक                                        |
| 18 | राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल के राजभाषा एकक द्वारा राष्ट्रीय हिन्दी संगोष्ठी आयोजित किए जाने की दिशा में प्रयास/पत्राचार                                                               | कार्रवाई : राजभाषा एकक                                        |

ए

भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल की संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 14.12.2023 को संपन्न हुई 101वीं तिमाही बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

## संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति

| क्र. सं. | नाम व पदनाम                                                                        | कार्यकारी अध्यक्ष |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | डॉ आशीष कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक), डेरी विज्ञान कॉलेज                  | कार्यकारी अध्यक्ष |
| 2.       | श्री बी.डी.फंसल, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं वरिष्ठ कुलसचिव                       | उपाध्यक्ष         |
| 3.       | श्री नरेश कुमार अरोड़ा, नियंत्रक                                                   | सदस्य             |
| 4.       | श्री जगदीश चन्द्र, वरिष्ठ वित एवं लेखा अधिकारी, ऑडिट अनुभाग                        | सदस्य             |
| 5.       | श्री रविन्दर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी                                             | सदस्य             |
| 6.       | डा. जय कौशिक, अध्यक्ष, पशु जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग                                 | सदस्य             |
| 7.       | डा. सुनील कुमार ओन्टेरू, अध्यक्ष, पशु जीव रसायन प्रभाग                             | सदस्य             |
| 8.       | डा.अजय डाँग, अध्यक्ष, पशु शरीर क्रिया प्रभाग                                       | सदस्य             |
| 9.       | डा. विकास वोहरा, अध्यक्ष, पशु आनुवांशिकी एवं प्रजनन प्रभाग                         | सदस्य             |
| 10.      | डा. सुभाशीष मंडल, अध्यक्ष, डेरी अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं प्रबंधन प्रभाग          | सदस्य             |
| 11.      | डा. प्रद्युमन बर्नवाल, अध्यक्ष, डेरी अभियांत्रिकी प्रभाग                           | सदस्य             |
| 12.      | डा. कौशिक खामरूइ, प्रधान वैज्ञानिक, डेरी प्रौद्योगिकी प्रभाग                       | सदस्य             |
| 13.      | डा. सोहनवीर सिंह, प्रधान वैज्ञानिक पशु शरीरक्रिया प्रभाग                           | सदस्य             |
| 14.      | डा. मदन लाल कम्बोज, प्रधान वैज्ञानिक, पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन                    | सदस्य             |
| 15.      | डा. अंजलि अग्रवाल, प्रधान वैज्ञानिक व शैक्षणिक समन्वयक                             | सदस्य             |
| 16.      | डॉ मगन सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान                                        | सदस्य             |
| 17.      | डॉ निशांत कुमार, प्रभारी, कृत्रिम प्रजनन अनुसंधान केन्द्र                          | सदस्य             |
| 18.      | डॉ संचिता गराइ, डेरी विस्तार प्रभाग                                                | सदस्य             |
| 19.      | श्री जितेन्द्र राणा, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, एटीक                              | सदस्य             |
| 20.      | श्री धर्मेन्द्र सिंह, आहरण एवं संवितरण अधिकारी, नकदी एवं देयक अनुभाग-1 एवं 2       | सदस्य             |
| 21.      | सुश्री सोनिका यादव, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना-1 अनुभाग                      | सदस्य             |
| 22.      | श्री गुरजीत सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना-5 अनुभाग                        | सदस्य             |
| 23.      | श्रीमती मीरा रानी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना-5 (पेंशन अनुभाग)               | सदस्य             |
| 24.      | श्री भगवान दास, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, विश्वविद्यालय कार्यालय                    | सदस्य             |
| 25.      | श्रीमती सुनीता चौधरी, प्रधान निजी सचिव, डेरी प्रौद्योगिकी प्रभाग                   | सदस्य             |
| 26.      | श्री कर्मवीर मलिक, प्रधान निजी सचिव, संयु. निदे. (प्रशा.) एवं वरि.कुलसचिव कार्यालय | सदस्य             |
| 27.      | श्रीमती सन्तरा, प्रधान निजी सचिव, निदेशक कार्यालय                                  | सदस्य             |
| 28.      | श्रीमती सन्तोष, निजी सचिव, डेरी अर्थशास्त्र एवं राजभाषा एकक                        | सदस्य             |
| 29.      | श्रीमती रेखा रानी, सहायक, नकदी एवं देयक अनुभाग-3                                   | सदस्य             |
| 30.      | श्रीमती पिकी देवी, तकनीकी सहायक, नकदी एवं देयक अनुभाग-3                            | सदस्य             |
| 31.      | श्रीमती नीलम रानी, सहायक, स्थापना-4 अनुभाग                                         | सदस्य             |
| 32.      | श्री धीरज शर्मा, उप निदेशक (राजभाषा), राजभाषा एकक                                  | सदस्य सचिव        |

\*\*\*\*\*